

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक: प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक: 03.09.2012

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उप-धारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.05.2012 के क्रम में राज्य सरकार एतद्वारा नगर विकास न्यास, अलवर, नगर विकास न्यास, उदयपुर एवं नगर विकास न्यास, जैसलमेर के क्षेत्र के लिए सम्बन्धित न्यास में नियुक्त भूमि अवाप्ति अधिकारी को भी कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(आर.के. पारीक)

उप शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजि सचिव, प्रमुखशासनसचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. शासन उपसचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नविवि।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन अविलम्ब राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में करावे।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को उपरोक्तानुसार राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
11. सचिव, नगर सुधार न्यास, अलवर/उदयपुर/जैसलमेर (राजस्थान)।
12. आयुक्त, नगर परिषद, अलवर/उदयपुर/जैसलमेर (राजस्थान)।
13. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव-द्वितीय